प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्याः 9 / 2 / 35–आ–2 / 2012–35

प्रेषक,

संजीव नायर,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त ज़िलाधिकारी,
समस्त मुख्य विकास अधिकारी।

राज्य योजना आयोग–2 लखनऊः दिनांक 28 फरवरी, 2013

विषयः जनपदों की वर्ष 2013–14 की ज़िला योजना तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों की वर्ष 2013–14 की विकास योजनायें तैयार किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध कार्यवाही की जानी है। तदनुसार समय–सारणी (**संलग्नक–1**) के अनुसार 05 अप्रैल,2013 तक जनपद स्तर पर विकास योजना को अंतिम रूप दे दिया जाये। विकास योजना तैयार किये जाने में विशेष रूप से निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–

1– जनपद की विकास योजना तैयार करने से पूर्व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों की विकास योजनायें संरचित होंगी और उन्हीं के आधार पर जनपद की विकास योजना तैयार की जायेगी। सभी स्तरों की योजनाओं को समेकित करने और उनसे उभरकर आने वाले कार्यों को संकलित करने का कार्य अत्यन्त दुरूह है, इसलिए भारत सरकार द्वारा बनाये गये प्लान–प्लस साफ्टवेयर का उपयोग भी किया जाये। इस साफ्टवेयर के उपयोग हेतु एन.आई.सी के जनपद स्तरीय अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाये।

2– वर्ष 2013–14 के लिये अन्तिम रूप से जनपदवार परिव्यय की फांट पृथक से दी जायेगी। इस बीच वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित हुए परिव्यय के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाये। सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनपदों की जिला योजनाओं में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उनके लिये समुचित प्रावधान रखा जाये।

3– उल्लेखनीय है कि वर्तमान बजटीय व्यवस्था के अंतर्गत ज़िला पंचायत या अन्य किसी निकाय द्वारा प्रस्तावित एकमुश्त धनराशि का आय–व्ययक प्रावधान किया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों अथवा नगर निकायों को अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली निधियों को संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों

को चिन्हित कर सम्बंधित योजनाओं का अंग बनाया जाये, ताकि उनका वित्त–पोषण हो सके। जिला योजनाओं के लिए वर्गीकृत योजनाओं में अनुमन्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सामान्यतः ज़िला विकास योजना में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अपरिहार्य/विशिष्ट परियोजनायें/कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं तो उन्हें योजना में यथा स्थान पृथक से ज़िला योजना समिति की संस्तुति के साथ निरूपित किया जायेगा।

5– सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन कर डवटेलिंग के माध्यम से उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

6– विकास योजना तैयार करने के कार्य को सुगमतापूर्वक सम्पादित करने के लिए अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का विवरण **संलग्नक–2** में दिया गया है। इन निर्देशों के आलोक में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत एवं जनपद की नगरीय निकायों की विकास योजनायें समयबद्ध ढंग से तैयार किये जाने की व्यवस्था की जाये। इस विषय में पंचायतीराज विभाग के सम्बंधित अधिनियमों एवं शासनादेशों तथा नगर विकास विभाग के अधिनियमों एवं शासनादेशों में की गयी व्यवस्था को भी संज्ञान में लिया जायेगा।

7– राज्य के संसाधनों से वित्त पोषित योजनायें जो जनपद की ज़िला योजना का अंग होंगी, की सूची सुलभ–सन्दर्भ हेतु संलग्न है (**संलग्नक–3**)। सामान्यतः इस सूची में सम्मिलित योजनाओं को ही जनपद की विकास योजना में समाहित किया जायेगा, जब तक कि अन्य किसी योजना के सम्बन्ध में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश न दे दिये जायें।

8– जनपदों की जिला विकास योजना में सम्मिलित किये जाने वाले अध्यायों और अन्य अपरिहार्य सूचनाओं, जिनका विवरण **संलग्नक–2** में दिया गया है, का समावेश किया जायेगा ताकि उससे जनपद की और क्षेत्र विशेष की स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः अनुरोध है कि कृपया जनपदों की वर्ष 2013–14 की ज़िला योजना संरचना का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाये। योजना संरचना में यदि कोई ऐसी कठिनाई आये, जिसका निराकरण जनपद स्तर पर सम्भव न हो, ऐसे बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये नियोजन विभाग से तत्काल सम्पर्क किया जाये।

भवदीय,

(संजीव नायर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 9/2/35–आ–2/2012–35, तद्दिनांक

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि समस्त विकास विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राज्य सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत जनपद में सम्भावित निवेश का आंकलन देते हुए ज़िला सेक्टर में कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं के सम्बंध में विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए विस्तृत विभागीय मार्ग–निर्देश तत्काल ज़िलों को जारी कर, राज्य योजना आयोग–2 को उसकी दो प्रतियां उपलब्ध करा दी जायें :–

1– विभागीय योजनाओं के सम्बंध में नीति, प्राथमिकतायें एवं लक्ष्य।

2– प्रत्येक योजना में सम्मिलित कार्यों का संक्षिप्त विवरण,स्वरूप तथा वित्तीय एवं भौतिक मानक।

3– केन्द्र पुरोनिधानित एवं संसाधनों से सम्बद्ध कार्यक्रमों की ज़िलावार वित्तीय आवश्यकता।

(संजीव नायर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 9/2/35–आ–2/2012–35, तद्दिनांक

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विकास योजनाओं के सम्बंध में विभागीय अधिनियमों एवं शासनादेशों के आलोक में आवश्यक निर्देश ज़िलों को जारी कर, राज्य योजना आयोग–2 को उसकी दो प्रतियां उपलब्ध करा दी जायें।

(संजीव नायर)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपिः–

1– समस्त मण्डलायुक्त।

2– मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या ।

3– समस्त ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी।

4– नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।

5– नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अनुभाग।

संलग्नक–1

वर्ष 2013–14 की जिला विकास योजना तैयार करने हेतु समय–सारणी

	मद	प्रस्तावित तिथि
1	ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजना तैयार करने हेतु अंतिम तिथि	09 मार्च, 2013
2	क्षेत्र पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों की योजनाओं को एकीकृत करते हुए क्षेत्र की विकास योजना तैयार कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15 मार्च, 2013
3	जिला पंचायत स्तर पर क्षेत्र पंचायतों की योजनाओं को समेकित करते हुए जिले की विकास योजना तैयार करने की अंतिम तिथि	23 मार्च, 2013
4	जनपद में स्थित नगरीय निकायों यथा–नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा अपनी–अपनी विकास योजनायें तैयार किये जाने की अंतिम तिथि	23 मार्च, 2013
5	जिला पंचायत तथा नगरीय निकायों द्वारा जिला योजना समिति को अपनी विकास योजनायें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	25 मार्च, 2013
6	जिला योजना समिति द्वारा विकास योजनाओं पर विचार कर जनपद की विकास योजना को अंतिम रूप देने की तिथि	05 अप्रैल, 2013

जनपद की विकास योजना तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया

विभिन्न स्तरों पर विकास योजना तैयार किया जाना

- प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी विकास योजना तैयार कर क्षेत्र पंचायत को संदर्भित की जायेगी।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा उसके क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करते हुए, क्षेत्र की विकास योजना तैयार कर जिला पंचायत को संदर्भित की जायेगी।
- ज़िला पंचायत द्वारा जनपद की सभी क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए विकास योजना तैयार की जायेगी और उसे ज़िला योजना समिति को प्रस्तुत किया जायेगा ।
- जनपद में स्थित नगरीय संस्थाओं यथा नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम द्वारा विकास योजनां तैयार कर सीधे ज़िला योजना समिति को संदर्भित किया जायेगा।
- ज़िला पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं से प्राप्त विकास योजनाओं पर सम्यक रूप से विचार कर ज़िला योजना समिति द्वारा जनपद के लिये योजना का आलेख्य तैयार कर, उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

ज़िला योजना समिति के सदस्यों के कार्य

- ज़िला योजना समिति के निर्वाचित सदस्य एवं नामित सदस्य समिति की बैठकों में प्रतिभाग करेगें।
- समिति के सदस्यों को पृथक से निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
- समिति के किसी सदस्य विशेष को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है।
- समिति का कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को नामित नहीं कर सकेगा।
- समिति के सदस्यों में से यदि ज़िला योजना समिति आवश्यक समझती है तो उप समितियां गठित की जा सकती है और इस प्रकार गठित उप समिति निर्णय ले सकेगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना

(संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15–क)

- संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 15–क में ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्राविधान है। इस प्राविधान के अधीन विकास योजना तैयार कर उसे सम्बंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनॉक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाये, प्रेषित की जायेगी।

- स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उन्हे वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।
- विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जायेगा।
- विकास योजना का अनुमोदन ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं का निरूपण किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत स्तर पर विकासात्मक समस्याओं का विवरण विकास योजना में दिया जायेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उन्हें वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधन तथा क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत एवं राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता का विवरण दिया जायेगा। ग्राम पंचायत की विकास योजना में निम्न विवरण के साथ रूप–पत्र पर विकास योजना तैयार कर क्षेत्र पंचायत को सन्दर्भित की जायेगी। विकास योजना का अनुमोदन ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगाः–

ग्राम पंचायत का नाम .....
(क्षेत्र पंचायत का नाम.....)
(ज़िला पंचायत का नाम.....)

(1) सामान्य सूचना

	मद	
1	ग्राम पंचायत की जनसंख्या	
2	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	
3	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	
4	ग्राम पंचायत की विशेष समस्या	
5	ग्राम पंचायत की प्राथमिकता	
6	विकास सुविधाओं की स्थिति	
–	ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय है अथवा नहीं (नहीं होने की स्थिति में कितनी दूरी पर है)	
–	ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केन्द्र है अथवा नहीं (नहीं होने की स्थिति में कितनी दूरी पर है)	
–	स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है अथवा नहीं (नहीं होने की स्थिति में कितनी दूरी पर है)	
–	इसी प्रकार अन्य सुविधाओं का नाम अंकित करते हुये विवरण दिया जायेगा	

(2) योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधन (धनराशि हजार रूपये में)

1— स्वयं के संसाधन (कर आदि लगाये जाने से उपलब्ध धनराशि)
2— क्षेत्र पंचायत से उपलब्ध संसाधन
3— ज़िला पंचायत से उपलब्ध संसाधन
4— राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधन (राज्य वित्त आयोग, बाहरवां वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि)
5— निजी पूँजी से उपलब्ध संसाधन
6— सहकारी समितियों से प्राप्त संसाधन
7— अन्य संसाधन, यदि कोई हो

(3) विकास कार्य

(हजार रू. में)

	कार्य	ईकाई	कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता	ग्राम पंचायत का अंश	राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता	भौतिक लक्ष्य
	उदाहरण					
1	ग्राम की गलियों में सीसी रोड/के.सी. ड्रेन	किमी	20000	2000	18000	5
2	पेयजल हेतु हैण्डपम्प	संख्या	250	25	225	10
3	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	संख्या	500	—	500	1
4						
5						
6						

नोटः—तालिका में प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का विवरण दिया जायेगा और धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए वरीयताक्रम वाली प्राथमिकता के कार्यो को लिया जा सकें।

(4) ग्राम पंचायत की आवश्यकतायें

1—
2—
3—
4—
5—

(5) ग्राम पंचायत स्तर पर विकासात्मक समस्यायें

1—
2—
3—
4—
5—

क्षेत्र पंचायत विकास योजना

(उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–86)

- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–86 के अंतर्गत विकास योजना तैयार किये जाने के सम्बंध में निम्न प्रकार प्राविधान हैः–
  - क्षेत्र पंयायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात खण्ड के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
  - निर्दिष्ट योजना क्षेत्र पंचायत की कार्य समिति खण्ड विकास अधिकारी, वित्त एवं विकास समिति और समता समिति की सहायता से नियत रीति से तैयार करेगी और इस क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगी।
  - क्षेत्र पंचायत योजना पर विचार करेगी और इसे किसी परिस्कार के साथ या बिना किसी परिस्कार के अनुमोदित कर सकती है।
  - खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत द्वारा यथा अनुमोदित योजना को ज़िला पंचायत को उस दिनॉक से पहले जो नियम किया जाये, प्रस्तुत करेगा।
- क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र में आने वाले लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।
- क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जायेगा।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समाहित करते हुए अपनी विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा।
- विकास योजना के प्रारूप का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत की बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- विकास योजना का प्रारूप ज़िला पंचायत को प्रस्तुत किया जायेगा।
- खण्ड विकास अधिकारी विकास योजना तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- विकास योजना तैयार करने के लिये सहायक खण्ड विकास अधिकारी(सांख्यिकीय) सहयोग प्रदान करेगा। जहॉ सहायक खण्ड विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) तैनात नहीं हैं, वहां खण्ड विकास अधिकारी अन्य किसी सहायक खण्ड विकास अधिकारी का सहयोग ले सकेगा।
- क्षेत्र पंचायत की आवश्यकताओं का निरूपण किया जायेगा।
- क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकासात्मक समस्याओं का विवरण विकास योजना में दिया जायेगा।
- क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं के आलोक में विशेष संस्तुतियां/सुझाव के साथ ज़िला पंचायत को अवगत कराया जायेगा।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र में आने वाले लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों तथा ज़िला पंचायत अथवा राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता का विवरण दिया जायेगा। क्षेत्र पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाली

ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समाहित करते हुए अपनी विकास योजना में निम्न विवरण के साथ रूप–पत्र पर योजना तैयार कर ज़िला पंचायत को सन्दर्भित की जायेगी। विकास योजना का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत की बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगाः–

क्षेत्र पंचायत का नाम .....

(ज़िला पंचायत.....)

(1) सामान्य सूचना

	मद	
1	क्षेत्र पंचायत में आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	
1	क्षेत्र पंचायत में निवास करने वाली जनसंख्या	
2	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	
3	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	
4	क्षेत्र पंचायत की विशेष समस्या	
5	क्षेत्र पंचायत की प्राथमिकता	

विकासात्मक स्थिति

	मद	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कितनी ग्राम पंचायतों में सुविधा उपलब्ध है	कितनी ग्राम पंचायतों में सुविधा उपलब्ध नहीं है
1	प्राथमिक विद्यालय की सुविधा			
2	स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा			
3	स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता			
4	अन्य सुविधा			

(2) योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधन (धनराशि हजार रूपये में)

1– स्वयं के संसाधन (कर आदि लगाये जाने से उपलब्ध धनराशि)
2– ग्राम पंचायतों से उपलब्ध संसाधन
3– ज़िला पंचायत से उपलब्ध संसाधन
4– राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधन (राज्य वित्त आयोग, बारहवां वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि)
5– निजी पूँजी से उपलब्ध संसाधन
6– सहकारी समितियों से प्राप्त संसाधन
7– अन्य संसाधन, यदि कोई हो

(3) विकास कार्य

(हजार रू. में)

	कार्य	इकाई	प्रस्तावित धनराशि				भौतिक लक्ष्य
			कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता	ग्राम पंचायत का अंश	क्षेत्र पंचायत का अंश	राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता	
उदाहरण							
1	सीसी रोड/के. सी. ड्रेन का निर्माण	किमी	20000	2000	500	17500	5
2	पेयजल हेतु हैण्डपम्प	संख्या	250	25	0.00	225	10
3	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	संख्या	500	—	0.00	500	1
4	सड़क निर्माण	किमी	30000	0.00	1000	29000	12
5							
6							

नोटः— तालिका में प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का विवरण दिया जायेगा और धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए पहली प्राथमिकता वाले कार्य को लिया जायेगा।

(4) क्षेत्र पंचायत की आवश्यकतायें

1—

2—

3—

4—

5—

(5) क्षेत्र पंचायत स्तर पर विकासात्मक समस्यायें

1—

2—

3—

4—

5—

(6) क्षेत्र पंचायत की विशेष संस्तुतियां/ सुझाव

1–

2–

3–

4–

5–

ज़िला पंचायत विकास योजना

(उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–63)

- उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा ज़िला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा–63 के अंतर्गत विकास योजना तैयार किये जाने के सम्बंध में निम्न प्रकार प्राविधान हैः–
  - ज़िला पंयायत ज़िले की क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात ज़िले के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी।
  - निर्दिष्ट योजना को ज़िला पंचायत की कार्य समिति द्वारा नियत रीति से तैयार किया जायेगा और मुख्य अधिकारी उस योजना को नियोजन समिति के समक्ष रखेगा जो उसके सम्बंध में ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे।
  - अध्यक्ष योजना को नियोजन समिति की सिफारिशों सहित, यदि कोई हो, ज़िला पंचायत के समक्ष रखेगा, जो उसे ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे और उसे ज़िला योजना समिति को उस दिनॉक तक जो नियत किया जाये, प्रस्तुत करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के समग्र विकास हेतु लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, उन्हे वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।
- विकास कार्यों के चिन्हांकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का विवरण दिया जायेगा।
- ज़िला पंचायत द्वारा जनपद में आने वाली क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समाहित करते हुए विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा।
- विकास योजना के प्रारूप को ज़िला योजना समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।
- विकास योजना का अनुमोदन ज़िला पंचायत की बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास योजना तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- विकास योजना तैयार करने के लिये ज़िला पंचायत के अन्य कर्मियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- ज़िला पंचायत की आवश्यकताओं का निरूपण किया जायेगा।
- ज़िला पंचायत स्तर पर विकासात्मक समस्याओं का विवरण विकास योजना में दिया जायेगा।

- ज़िला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं के आलोक में विशेष संस्तुतियां/सुझाव के साथ ज़िला योजना समिति को अवगत कराया जायेगा।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासीयों के समग्र विकास हेतु लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, उन्हे वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। ज़िला पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों एवं राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता का विवरण भी दिया जायेगा। ज़िला पंचायत द्वारा जनपद में आने वाली क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समाहित करते हुए, अपनी विकास योजना में निम्न विवरण के साथ रूप–पत्र पर विवरण सहित विकास योजना तैयार कर, ज़िला योजना समिति को प्रस्तुत की जायेगी। विकास योजना का अनुमोदन ज़िला पंचायत की बैठक में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगाः–

ज़िला पंचायत का नाम .....

(1) सामान्य सूचना

	मद	
1	ग्राम पंचायतों की संख्या	
2	कुल ग्रामों की संख्या	
3	क्षेत्र पंचायतों की संख्या	
4	जनपद की कुल जनसंख्या	
5	जनपद की ग्रामीण जनसंख्या	
6	ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की जनसंख्या	
7	ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	
8	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (कक्षा 1–5)	
9	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (कक्षा 6–8)	
10	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या (कक्षा 9–12)	
11	डिग्री कालेजों की संख्या	
12	साक्षरता – कुल – महिला – पुरूष	
13	स्वास्थ्य उप केन्द्रों की संख्या	
14	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	
15	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	
16	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों की संख्या	
17		
18		
19		
20		

नोटः मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सूचना इसी तालिका में अंकित की जायेगी। यह सूचना केवल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होगी।

विकासात्मक स्थिति

	मद	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	कितनी ग्राम पंचायतों में सुविधा उपलब्ध है	कितनी ग्राम पंचायतों में सुविधा उपलब्ध नही है
1	प्राथमिक विद्यालय की सुविधा			
2	स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा			
3	स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता			
4	अन्य सुविधा			

(2) योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधन (धनराशि हजार रूपये में)

1– स्वयं के संसाधन (कर आदि लगाये जाने से उपलब्ध धनराशि)
2– राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधन (राज्य वित्त आयोग, बाहरवां वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि)
3– ग्राम पंचायतों के संसाधन से उपलब्ध होने वाले संसाधन
4– क्षेत्र पंचायतों के संसाधन से उपलब्ध होने वाले संसाधन
5– निजी पूँजी से उपलब्ध संसाधन
6– सहकारी समितियों से प्राप्त संसाधन
7– अन्य संसाधन, यदि कोई हो

(3) विकास कार्य

(लाख रू. में)

	कार्य	ईकाई	भौतिक लक्ष्य	प्रस्तावित धनराशि				
				कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि की कुल आवश्यकता	ग्राम पंचायत का अंश	क्षेत्र पंचायत का अंश	ज़िला पंचायत का अंश	राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता
उदाहरण								
1	सीसी रोड/के.सी. ड्रेन का निर्माण	किमी	5	200.00	20.00	5.00		175.00
2	पेयजल हेतु हैण्डपम्प	संख्या	40	100.00	10.00	0.00	70.00	20.00
3	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	संख्या	1	5.00	–	0.00	0.00	5.00
4	सड़क निर्माण	किमी	12	300.00	0.00	10.00	50.00	240.00
5								
6								

नोटः– तालिका में प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का विवरण दिया जायेगा और धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए पहली प्राथमिकता वाले कार्य को लिया जायेगा।

(4) ज़िला पंचायत की आवश्यकतायें

1–
2–
3–
4–
5–

(5) ज़िला पंचायत स्तर पर विकासात्मक समस्यायें

1–

2–

3–

4–

5–

नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम की विकास योजना

(उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–54 के साथ पठित धारा 383क)

- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 383–क के अंतर्गत नगर के लिए विकास योजना तैयार करने के सम्बंध में निम्न प्राविधान हैः–
  - निगम नगर के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।
  - निर्दिष्ट योजना को नियमों द्वारा विहित रीति से निगम की विकास समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।
  - योजना को निगम के समक्ष रखा जायेगा जो उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के ऐसे रूप में अनुमोदित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और नगर आयुक्त इसे ज़िला योजना समिति को उस दिनॉक तक जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगा।
- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 127–ख के अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए विकास योजना तैयार करने के सम्बंध में निम्न प्राविधान हैः–
  - प्रत्येक नगर पालिका का अधिशाषी अधिकारी नियमों द्वारा विहित रीति से नगर पालिका क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।
  - तैयार की गयी योजना नगर पालिका की बैठक में उसके समक्ष रखी जायेगी और नगर पालिका उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के अनुमोदित कर सकती है।
  - अधिशाषी अधिकारी योजना के नगर पालिका द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात ऐसे दिनॉक के पूर्व जो नियमों द्वारा विहित किया जाये ज़िला योजना समिति को भेजेगा।

- नगर पंचायतों पर भी उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 लागू है और इस अधिनियम की धारा 127–ख के अंतर्गत विकास योजना तैयार करने के सम्बंध में प्राविधान है, ज़िसका विवरण निम्न प्रकार हैः–
    - प्रत्येक नगर पंचायत का अधिशाषी अधिकारी नियमों द्वारा विहित रीति से नगर पंचायत क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगा।
    - तैयार की गयी योजना नगर पंचायत की बैठक में उसके समक्ष रखी जायेगी और नगर पंचायत उसे उपान्तरों सहित या बिना किसी उपान्तर के अनुमोदित कर सकती है।
    - अधिशाषी अधिकारी योजना के नगर पंचायत द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात ऐसे दिनॉक के पूर्व जो नियमों द्वारा विहित किया जाये ज़िला योजना समिति को भेजेगा।

- प्रत्येक नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम के स्तर पर स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।
- नगरीय निकायों के स्तर पर विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का विवरण दिया जायेगा।
- नगरीय निकायों की विकास योजना का प्रारूप को नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्तिम रूप दिया जायेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा अपनी विकास योजना के प्रारूप को सीधे ज़िला योजना समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।
- नगरीय निकायों के नगर आयुक्त/नगर अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जैसी भी स्थिति हो, विकास योजना तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- नगरीय निकायों की आवश्यकताओं का निरूपण विकास योजना में किया जायेगा।
- नगरीय निकायों के स्तर पर विकासात्मक समस्याओं का विवरण विकास योजना में दिया जायेगा।
- नगरीय निकायों द्वारा विशेष संस्तुतियां/सुझाव ज़िला योजना समिति को दिया जा सकेगा।

प्रत्येक नगर पंचायत/ नगर परिषद/ नगर निगम के स्तर पर स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। नगरीय निकायों के स्तर पर विकास कार्यों के चिन्हाकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन तथा राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता का विवरण दिया जायेगा। नगरीय निकायों की विकास योजना में निम्न विवरण के साथ रूप–पत्र पर योजना तैयार कर ज़िला योजना समिति (जैसी व्यवस्था निर्धारित की जाये) को सीधे प्रस्तुत की जायेगी। विकास योजना का अनुमोदन नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगाः–

नगर पंचायत/ नगर परिषद/ नगर निगम का नाम .....
(जनपद का नाम.....)

(1) सामान्य सूचना

	मद	
1	नगर निकाय की जनसंख्या	
2	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	
3	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	
4	नगर निकाय की विशेष समस्या	
5	नगर निकाय की प्राथमिकता	

विकासात्मक स्थिति

	मद	कुल आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
1	प्राथमिक विद्यालय			
2	स्वास्थ्य केन्द्र			
3	स्वच्छ पेयजल			
4	प्रकाश व्यवस्था			
5	सीवर			
6	अन्य सुविधा			

(2) योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधन (धनराशि हजार रूपये में)

1— स्वयं के संसाधन (कर आदि लगाये जाने से उपलब्ध धनराशि)
2— राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधन (राज्य वित्त आयोग, बाहरवां वित्त आयोग तथा अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि)
5— निजी पूँजी से उपलब्ध संसाधन
6— गैर सरकारी संस्थाओं/ समितियों से प्राप्त संसाधन
7— अन्य संसाधन, यदि कोई हो

(3) विकास कार्य

(लाख रू. में)

	कार्य	इकाई	कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता	नगर निकाय का अंश	राज्य के संसाधनों से अपेक्षित सहायता	भौतिक लक्ष्य
उदाहरण						
1	निकाय की गलियों में सीसी रोड	किमी	200.00	20.00	180.00	5
2	पेयजल हेतु हैण्डपम्प	संख्या	2.50	0.25	2.25	10
3	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	संख्या	5.00	—	5.00	1
4	प्रकाश व्यवस्था					
5						
6						

नोटः— तालिका में प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का विवरण दिया जायेगा और धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए पहली प्राथमिकता वाले कार्य को लिया जायेगा।

(4) नगर निकाय की आवश्यकतायें

1–
2–
3–
4–
5–

(5) नगर निकाय की विकासात्मक समस्यायें

1–
2–
3–
4–
5–

जनपद की एकीकृत विकास योजना
(शासन के निर्देशानुसार)

- जनपद के निवासियों के समग्र विकास हेतु लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार विकासात्मक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, उन्हे वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।
- विकास कार्यों के चिन्हांकन के साथ ही उनके वित्त पोषण हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का विवरण दिया जायेगा।
- ज़िला पंचायत एवं जनपद की नगरीय निकायों की विकास योजनाओं को समाहित करते हुए जनपद की एकीकृत विकास योजना का प्रारूप तैयार कर उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।
- एकीकृत विकास योजना उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली 2008 के अध्याय–3 के प्राविधानों के अनुसार सभी सम्बंधितों को प्रस्तुत किया जायेगा।
- जनपद की विकास योजना तैयार करने के लिये मुख्य विकास अधिकारी, जो समिति का सचिव है, उत्तरदायी होगा।
- विकास योजना तैयार करने में ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जो समिति का संयुक्त सचिव है, पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
- जनपद की आवश्यकताओं, विकासात्मक समस्याओं के साथ ही विशेष संस्तुतियां/ सुझाव का समावेश एकीकृत विकास योजना में किया जायेगा।
- राज्य द्वारा ज़िला योजना में समाहित करने हेतु इंगित/चिन्हांकित योजनाओं की आवश्यकताओं का विवरण सम्बंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समिति के सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य द्वारा ज़िला योजना में समाहित करने हेतु इंगित/चिन्हांकित योजनाओं को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत,ज़िला पंचायत एवं नगरीय निकायों को उन योजनाओं के लिये सन्दर्भित नहीं किया जायेगा।

- ज़िला पंचायत एवं नगरीय निकायों की विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यकता, उनके वित्त पोषण एवं अन्य विवरण को विभागीय ज़िला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से मुख्य विकास अधिकारी एवं ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी के स्तर पर राज्य स्तर से इंगित/चिन्हांकित योजनाओं में एकीकृत कर योजना विशेष की आवश्यकता तथा अन्य विवरण तैयार किया जायेगा।
- राज्य के संसाधनों से जनपद विशेष को उपलब्ध कराये गये परिव्यय का विभाजन नगरीय निकायों एवं ज़िला पंचायत के मध्य अथवा अन्य स्तरों पर नहीं किया जायेगा। इस परिव्यय का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बंधित विभागों के ज़िला स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से राज्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक समायोजन के साथ प्रस्ताव तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ज़िला योजना समिति के विचारार्थ रखा जायेगा।
- मुख्य विकास अधिकारी/ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी का यह दायित्व होगा कि राज्य की प्राथमिकताओं, मानकों, प्रतिबन्धों तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ज़िला योजना समिति के संज्ञान में लाया जायेगा।
- विभिन्न विकास योजनाओं के स्थल चयन,उनकी प्राथमिकताओं,वित्त पोषण आदि पर ज़िला योजना समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना

(उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम 1999 का अनुच्छेद–15(2) तथा उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति नियमावली 2008 का अध्याय–4 देखें)

- ज़िला योजना समिति को यह अधिकार है कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में सहायता प्रदान करने के लिये विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में आमंत्रित कर सकती है।
- एक क्षेत्र के एक गैर सरकारी विषय–विशेषज्ञ को ही आमंत्रित किया जा सकेगा और उसे एक वर्ष में 2 बार से अधिक नहीं बुलाया जा सकेगा।
- विशेषज्ञ को यात्रा भत्ता,दैनिक भत्ता आदि की सुविधा अनुमन्य होगी।

विभागों एवं ज़िला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की भूमिका

- जनपदों की विकास योजना संरचना के समय विभागीय विकास योजनाओं को ज़िला योजना में शामिल कराने के सम्बंध में विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।
- ज़िन योजनाओं की उपादेयता के सम्बंध में किसी जनपद विशेष को सन्देह है, उन्हें संतुष्ट करने और नई नई योजनाओं के लिये समुचित प्राविधान किये जाने हेतु विभागों द्वारा पहल की जायेगी।
- योजनाओं के सफलतापूर्वक सम्पादन एवं किये जाने वाला व्यय सार्थक सिद्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस सम्बंध में विभागों के जनपद/मण्डलीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा समन्वित भूमिका अदा की जायेगी।
- विभागीय योजनाओं के सम्बंध में उनकी आवश्यकतायें, मानक, वचनबद्ध व्यय, केन्द्रांश, स्थल चयन, आगणन आदि के सम्बंध में विस्तृत मार्गनिर्देश विभागों द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

- विकास कार्यों की प्रगति के सम्बंध में नियमित रूप से प्रतिवेदन ज़िला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ज़िला योजना समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु समिति के सचिव/संयुक्त सचिव को उपलब्ध कराया जायेगा।
- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत एवं नगरीय निकायों की विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यकता, उनके वित्त पोषण एवं अन्य विवरण आदि को तैयार करने में विभागीय ज़िला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे।
- ज़िला पंचायत एवं नगरीय निकायों की विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यों के लिये आवश्यकता, उनके वित्त पोषण एवं अन्य विवरण को राज्य स्तर से इंगित/चिन्हांकित योजनाओं में एकीकृत कर योजना विशेष की आवश्यकता तथा अन्य विवरण को समाहित करने में विभागीय ज़िला स्तरीय अधिकारियों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ज़िला योजना के आकार का निर्धारण

- ज़िला पंचायत द्वारा तैयार की गई विकास योजना में ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के संसाधनों का समावेश होगा ।
- नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई विकास योजना में इन निकायों के विभिन्न संसाधनों का समावेश होगा ।
- राज्य के संसाधनों से उपलब्ध कराये जाने वाले परिव्यय को संज्ञान में लिया जायेगा।
- इस प्रकार उपर्युक्त तीनों स्रोतों यथा राज्य के संसाधनों से उपलब्ध परिव्यय, ज़िला पंचायत एवं नगर निकायों के संसाधनों को जोड़ते हुए उभरकर आये संसाधन जनपद की विकास योजना का आकार होगा।
- सहकारी समितियों, संस्थागत वित्त, लोगों की निजी पूंजी, केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के केन्द्रांश, राज्य की अन्य योजनाओं से जनपद में उपलब्ध होने वाले संसाधन, आदि को जनपद की विकास योजना के आकार निर्धारण में आंकलित नहीं किया जायेगा। यह संसाधन अतिरिक्तता के रूप में विकास कार्य हेतु उपलब्ध होगें।

विकास योजना – मार्गदर्शी सिद्धांत

मूलभूत सिद्धान्त

विकास योजनाओं को तैयार करते समय मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य के नीति विषयक निर्णयों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वह संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

1– **'विकास सामाजिक न्याय के साथ हों'** इस सिद्धान्त को मानते हुए यह देखना पड़ेगा कि विकास कार्यक्रम जो प्रस्तावित किये जा रहे हैं, उनसे रोजगार एवं विकास के अवसर समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हो सकेंगे।

2– जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, ज़िससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके।

3– भूमि, पशुधन लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता की वृद्धि, इस प्रकार के विकास से जो लाभ सम्भावित हो, उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्यमियों को मिले।

5– ऐसे सामाज़िक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाये, ज़िनसे राज्य और राष्ट्र की प्राथमिकताओं तथा रणनीतियों की पूर्ति हो सके।

6– अवस्थित अवस्थापनाओं/संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाये, ज़िससे गरीबों के हितों की रक्षा हो सके।

7– रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाये, ज़िससे भूमिहीनों, छोटे कृषकों, आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

8– रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु दलित वर्ग, भूमिहीनों, ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाये।

प्रत्येक जनपद द्वारा अपनी विकास योजना उपरोक्त प्रधान सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायेगी तथा प्रयास यह होना चाहिए कि योजना में इसका स्पष्ट उल्लेख हो कि उपरोक्त की पूर्ति किस प्रकार की जायेगी। इन सिद्धांतों के अलावा प्रत्येक जनपद की अलग–अलग परिस्थितियॉ और समस्यायें होंगी। अतः यह स्वाभाविक है कि योजना तैयार करते समय प्रत्येक जनपद अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, अपने विशिष्ट उद्देश्य भी निश्चित करें और यथास्थान उनका उल्लेख करें।

राज्य के संसाधनों से विभिन्न विकास विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में से ऐसी योजनायें अभिज्ञानित कर, ज़िला योजनाओं के अधीन रखा जायेगा, ज़िनके लाभ अथवा प्रभाव केवल जनपद विशेष तक सीमित हैं और उनका नियोजन एवं कार्यान्वयन भलीभांति ज़िला स्तर पर हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यक कड़ियॉ (लिंकजेज) भी उक्त जनपदों में ही हों। इस आधार पर योजनाओं की सूची जनपदों को संसूचित की जायेगी। मोटे तौर पर ज़िला योजना से वित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं का आधार निम्न प्रकार होगाः–

1– ऐसी योजनायें, ज़िनके लाभ एक जनपद विशेष तक सीमित नहीं है उन्हें ज़िला योजना के अधीन नहीं रखा जायेगा और शेष योजनायें ज़िनके लाभ जनपद विशेष तक सीमित है, उन्हें ज़िला योजनाओं की परिधि में रखा जायेगा।

2– ऐसी योजनायें, ज़िनका नियोजन, कार्यान्वयन एवं उसके स्थान विशेष का चयन जनपद स्तर पर अपेक्षाकृत भली प्रकार हो सकता है, उन्हें ज़िला योजनाओं के अधीन रखा जायेगा।

राज्य सरकार के संसाधनों से वित्त पोषित योजनाओं के लिये जनपदों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ऐसी रीति से किया जायेगा, ज़िसमें पिछड़ापन तथा अन्य सुसंगत संकेतकों का उपयोग हो, इस प्रकार निर्धारित किये जाने वाले मानकों के आधार पर जनपदों के बीच आवंटन होगा। राज्य सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान, जब भी आवश्यक हो, जनपद विशेष/जनपदों को आवंटित किये गये संसाधनों में परिवर्तन/परिशोधन कर सके।

विकास योजना का प्रारूप

स्थानीय स्तर पर विकास योजना संरचना से पूर्व क्षेत्र/जनपद की विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों, अन्तर्जनपदीय,अन्तर्विकास खण्डीय एवं अन्तर्ग्रामीण विषमताओं तथा योजना के उददेश्य एवं रणनीति के बारे में स्पष्ट अभिमत बनाकर उपलब्ध संसाधनों के अधीन रहते हुए विकास योजना तैयार की जायेगी। विकास योजना को विशेष रूप से निम्न खण्डों/अध्यायों में विभक्त किया जायेगाः–

अध्याय–1: परिचय

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना है, ज़िसके पढ़ने मात्र से नियोजकों एवं नीति–निर्देशकों को उस क्षेत्र के सम्बंध में, जहॉ एक ओर आधारभूत आंकड़ों के आधार पर पूर्ण विवरण ज्ञात हो सके, वहीं दूसरी ओर विगत वर्षों में ज़िले के विकास में दृष्टिगत प्रमुख प्रवृत्तियों की जानकारी के साथ–साथ ज़िले के विकास में अवरोधक प्रमुख समस्याओं का भी अभिज्ञान हो सके। इस अध्याय में निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में विश्लेषणात्मक टिप्पणी अंकित की जायेगीः–

- मुख्य रूप से क्षेत्र की वर्तमान भौगोलिक दशा, प्राकृतिक दशा, प्राकृतिक संसाधन, नदियां एवं उनकी धारायें, वर्षा, बाढ़ एवं सूखे की स्थिति, भूमि उपयेाग की स्थिति, जोतों के आकार आदि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- जनसंख्या, वृद्धि दर, जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यदर, पुरूष तथा महिला जनसंख्या आदि का विवरण दिया जायेगा।
- क्षेत्र के विभिन्न भागों में चलने वाले प्राथमिक तथा माध्यमिक आर्थिक कार्यकलापों का विवरण, विकास का वर्तमान स्तर, औद्योगिक कार्यक्षमता तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए सेक्टरवार न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन एवं उसकी पूर्ति किस सीमा तक स्थानीय संसाधनों द्वारा की जा सकती है, आदि पहलुओं पर विवेचना की जायेगी। साथ ही कृषि एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण/अर्द्धशहरी और शहरी कमजोर वर्गों के आर्थिक और व्यवसायिक पक्ष को सुधारने, कारीगरों के आर्थिक स्तर सुदृढ़ करने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, स्थानीय कौशल और विभिन्न संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर प्रकाश डाला जाये तथा उद्यमशीलता विकसित करने, शिल्पकारिता, कला एवं सांस्कृतिक विरासत आदि बिन्दुओं का भी समावेश किया जाये।

- पूर्व वर्षों में ज़िले के विकास की दिशा में किये गये प्रयासों के आधार पर जो प्रवृत्तियॉ दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनका संक्षेप में समालोचनात्मक विवेचना की जायेगी। जैसे ज़िले में फसल चक्र में दिखायी देने वाले परिवर्तन, भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तन, आर्थिक कार्य कलापों में होने वाले परिवर्तन अथवा ज़िले में कृषि के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के सम्बंध में दृष्टिगत होने वाली प्रवृत्तियों की विवेचना आवश्यक होगी। इसके साथ ही क्षेत्र की ऐसी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया जायेगा, जो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अवरोधक हैं।

अध्याय–2: क्षेत्रीय विषमतायें

जनपदों में और जनपदों के अंदर विभिन्न विकास खण्डों में विकास स्तर में व्याप्त विषमताओं को दूर करना प्रमुख उददेश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिव्यय/विकास सुविधाओं का आवंटन/वितरण किया जाना चाहिये, ताकि समग्र रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अपना विकास करने का अवसर उपलब्ध हो सके। यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर इन विषमताओं को पहले से ही अभिज्ञानित कर लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेः–

1– क्षेत्र विशेष की अन्य क्षेत्रों, विकास खण्डों, जनपदों (यथास्थिति) के सापेक्ष उभरकर आई स्थिति के आधार पर उन बिन्दुओं को अभिज्ञानित किया जाये, ज़िसमें क्षेत्र विशेष की स्थिति अपेक्षाकृत कम रही है।

2– ज़िला स्तर पर विभिन्न विकासखण्डों के मध्य उनके वर्तमान विकास स्तर और उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं के स्तर में व्याप्त विषमताओं का विश्लेषण किया जाये और विकास खण्डों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाये, ज़िससे यह ज्ञात हो सके कि विभिन्न विकास क्षेत्रों में कौन सा विकास खण्ड किस मद में पिछड़ा है। इसके लिए विभिन्न संकेतकों के आधार पर विषमताओं का विश्लेषण किया जाये।

3– इस प्रकार के विश्लेषण से जहॉ एक ओर योजनाओं के स्थल चयन के सम्बंध में सहायता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अन्तर्विकास खण्डीय विषमतायें भी कम हो सकेंगी तथा ज़िले के संतुलित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

अध्याय–3: उद्देश्य, रणनीति एवं प्राथमिकतायें

विकास योजना बनाने से पूर्व इस बात की स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक है कि विकास योजना का उद्देश्य क्या है। विकास योजना को प्रभावी बनाने हेतु किन–किन रणनीतियों का उपयोग किया जाना है। मुख्य रूप से उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता हैः–

1–उत्पादन में वृद्धि
2–बेरोजगारी को दूर करना
3–गरीबी उन्मूलन
4–आर्थिक अवस्थापना सुविधायें
5–सामाजिक अवस्थापना सुविधायें

इन सामान्य उद्देश्यों के होते हुए भी प्रत्येक क्षेत्र/ग्राम/विकास खण्ड/जनपद की अपनी अलग–अलग समस्यायें होंगी। विभिन्न स्तरों पर उस क्षेत्र विशेष के लिए

उद्देश्यों का निर्धारण करते समय राष्ट्रीय एवं राज्य के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता का निर्धारण किया जायेगा। जैसे उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्तमान स्तर से कितनी वृद्धि की जायेगी तथा इसके लिए उत्पादकता का स्तर कितना बढ़ाया जायेगा तथा विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जायेगी आदि आदि का स्पष्ट मात्राकरण किया जाये।

इस प्रकार उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद इसी अध्याय में स्पष्ट शब्दों में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली मुख्य रणनीति का उल्लेख किया जायेगा और उद्देश्यों और रणनीति के आधार पर ही क्षेत्र की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जायेगा।

अध्याय–4: वित्त पोषण

ज़िस प्रकार देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार विकास योजना तैयार करते समय केवल राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों के आधार पर ही योजना तैयार नहीं की जानी चाहिए। विभिन्न स्रोतों से जैसे सहकारी समितियॉ, वित्तीय स्वायत्तशासी संस्थायें, लोगों की निजी पूंजी आदि स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी अनुमान करना चाहिए। पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा और उनके आधार पर संचालित किये जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

ज़िला स्तर पर ज़िला क्रेडिट प्लान के आधार पर वार्षिक एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, ज़िसमें संस्थागत वित्त का विनियोजन किन–किन योजनाओं में किस सीमा तक होगा आदि का योजनावार/सेक्टरवार विवरण उपलब्ध रहता है। अतः यह आवश्यक है कि ज़िला क्रेडिट प्लान को ज़िला येाजना से पूर्ण रूप से एकीकृत किया जाये ताकि संस्थागत वित्त पर आधारित कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्साहन देकर उक्त स्रोत से अधिकाधिक संसाधन जुटाये जा सकें।

इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे राज्य द्वारा ज़िलों में विकास योजनायें कार्यान्वित की जा रही है, उनके अधीन किये जाने वाले कार्यों का आंकलन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जाये। इस प्रकार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का विवरण मुख्य रूप से निम्न मदों में किया जायेगाः–

1– स्थानीय संसाधनों का आंकलनः
   - क– सहकारी समितियॉ
   - ख– संस्थागत वित्त
   - ग– ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत, नगर निगम,नगर परिषद, नगर पंचायत से उपलब्ध संसाधन (जैसी भी स्थिति हो)
   - घ– लोगों की निजी पूॅजी
   - च– अन्य संसाधन

2– राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से जनपद को प्राप्त अंश

3– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्त केद्रांश

4– वाहय सहायतित संस्थाओं से प्राप्त अंश/संसाधन

5– ज़िला योजना हेतु राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधन

अध्याय–5: विकास कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन एवं प्रस्तावित भावी कार्यक्रम

विकास कार्यों की समीक्षा

विकास योजना तैयार करते समय कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यों और भावी कार्यक्रम प्रस्तावित करने से पूर्व यह आवश्यक है कि क्षेत्र विशेष में चल रहे समस्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जाये। इस प्रकार का मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाये। यह मूल्यांकन न केवल वित्तीय पक्ष पर केन्द्रित रखी जाये बल्कि इसमें भौतिक पक्ष को भी वरीयता दी जायेगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि योजना विशेष के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है और यदि आवश्यक हो तो विकास कार्यों के कार्यान्वयन में उस आधार पर परिवर्तन/परिशोधन किया जा सके और आवश्यक कदम उठाये जा सके। साथ ही साथ समीक्षा में ऐसे कार्यकमों को भी अभिज्ञानित कर लिया जाये, ज़िनकी उपादेयता क्षेत्र विशेष के लिये नहीं है। इस समीक्षा में विशेष रूप से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित योजना का विकास योजना में समावेश करते समय निम्न दृष्टिकोण से अपना स्पष्ट मत व्यक्त करना आवश्यक होगा, ताकि योजना की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सकेः–

1– क्या पूर्व में जो केन्द्र एवं राज्य के निर्देशक मूल सिद्धान्त हैं, उनकी पूर्वताओं का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है।

2– किसी विशेष सेक्टर के अधीन निर्धारित लक्ष्य दूसरे परस्पर सेक्टरों के लक्ष्य के साथ तालमेल खाता है।

3– पूर्व अवस्थापनाओं द्वारा उपलब्ध अनुपयुक्त क्षमताओं का पूरा उपयोग करने की कोशिश की गयी है।

4– विभिन्न क्षेत्रों/पिछड़े वर्गों के विशिष्ट हितों/आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है।

5– योजना सम्बन्धी स्कीम के लिए प्रस्तावित परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य क्या विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक हैं।

6– योजनाओं के सम्पादन की रणनीति तथा प्रक्रिया स्पष्ट निर्धारित है।

7– योजनाओं के सम्बंध में अनुश्रवण की क्या व्यवस्था है।

8– क्या ज़िला स्तरीय स्कीमों में राज्य स्तरीय स्कीम की पुनरावृत्ति तो नहीं करती। क्या उनमें अनुपूरकता का ध्यान रखा गया है।

9– क्या कार्मिक आवश्यकताओं का आगणन करते समय पूर्व उपलब्ध कर्मचारियों का उपयोग किया गया है।

राज्य की पूर्वतायें

विकास योजना तैयार करने हेतु क्षेत्रीय स्थानीय आकांक्षाओं को साकार करने और स्थानीय पहल शक्ति, सम्भाव्य क्षमता, योग्यता तथा संसाधनों से अनुकूलतम लाभ उठाने के लिये स्वतन्त्रता दी गई है, फिर भी राष्ट्रीय एवं राज्य की पूर्वताओं के परिप्रेक्ष्य में विकास योजनाओं को अंगीकृत करना आवश्यक है। यह पूर्वतायें निम्नलिखित हैंः–

1– खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि

2– कृषि पर निर्भर लोगों के लिए ऐसे पूरक व्यवसाय और उत्पादन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, ज़िनसे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

3— ऐसे उपाय करना ज़िससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की आय में वृद्धि हो सके और वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें।
4— लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करना
5— निर्धन एवं पिछड़ें वर्गों के लोगों की आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त सुविधायें प्रदान करना ज़िससे उनके रहन सहन का स्तर ऊॅचा हो सके।
6— आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं यथा ऊर्जा, सिंचाई, सड़क एवं पुल आदि का त्वरित विकास
7— सामाज़िक अवस्थापना सुविधाओं यथा चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल आदि में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार

परिव्यय आवंटन हेतु वरीयता क्रम

परिव्यय का आवंटन प्राथमिकता पर अधूरे कार्यों/परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाये। जिन परियोजनाओं/कार्यों की भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत अथवा अधिक है, उन कार्यों को वर्ष 2013—14 में पूर्ण करने की व्यवस्था की जाये।

चालू योजनाओं हेतु परिव्यय का अंश अलग करने के पश्चात जो शेष उपलब्ध परिव्यय है, उसके उपयोग के प्रश्न पर विचार करते समय राज्य की पूर्वताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। इस प्रकार योजना के विभिन्न सेक्टरों में परिव्यय का विभाजन भी इस प्रकार किया जाना चाहिए, ज़िससे प्राथमिकताओं का पालन हो सके। यदि परिव्यय के विभाजन में यह संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता तो राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव नहीं होगी और प्रदेश स्तर पर योजना में ऐसी विसंगतियॉ पैदा हो जायेंगी, ज़िनका समाधान कठिन होगा। इस प्रकार विकास योजनाओं के लिये परिव्यय का निर्धारण/आवंटन किस सीमा तक किया जाये, यह बिन्दु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं विस्तार उन कार्यक्रमों का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिये यथेष्ट परिव्यय उपलब्ध होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर सीमित संसाधनों को देखते हुए, क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताओं के आधार पर परिव्यय का विभाजन संतुलित दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है ताकि राष्ट्रीय एवं प्रदेश की पूर्वताओं एवं उददेश्यों की पूर्ति सम्भव हो सके। अतः क्षेत्र विशेष की पूर्वताओं/स्थानीय आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों हेतु परिव्यय आवंटन के लिये निम्न कोटिक्रम को अपनाया जायेगाः—

1— चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय
2— चालू कार्यक्रमों/योजनाओं में अपरिहार्य विस्तार तथा उस पर होने वाला व्यय
3— केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने अथवा ऐसी अन्य वाहय सहायतित योजनाओं में प्राप्त होने वाले अंश को सुनिश्चित करने हेतु राज्यांश के रूप में आवश्यक परिव्यय।
4— नये कार्यक्रम/योजनायें तथा उन पर अनुमानित व्यय

इसके अतिरिक्त उन कार्यक्रमों/परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, ज़िनसे विकासात्मक असंतुलन समाप्त हो सके। विकास योजना में उसी सीमा तक नये कार्यक्रम अथवा योजनायें ली जा सकेगी ज़िस सीमा तक उपर्युक्त प्राथमकिता 1, 2 एवं 3 की पूर्ति करने के बाद परिव्यय/संसाधन अवशेष रहता है।

प्रतिबन्ध

क्षेत्र विशेष के लिए आवंटित परिव्यय का उपयोग चालू योजनाओं हेतु अपरिहार्य परिव्यय सुरक्षित रखने के पश्चात जनपद के विवेकानुसार अन्य विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए किया जायेगा। इस परिव्यय से पोषित होने वाली योजनाओं के सम्बंध में निम्नांकित बातों के अधीन ज़िला योजना समिति का निष्कर्ष सामान्यतया अन्तिम होगाः–

1– कोई भी नया अनुदान या ऋण राज्य सरकार की अवस्थित स्वीकृत दरों पर ही प्रस्तावित किया जायेगा।

2– किसी चालू कार्यक्रम/योजना को जनपद/क्षेत्र विशेष हेतु उपादेय न समझे जाने पर उसके मौलिक रूप में संशोधन करने अथवा उनका प्राविधान समाप्त किये जाने का अन्ततः अधिकार ज़िला योजना समिति को होगा परन्तु ज़िला योजना समिति द्वारा इस प्रकार की योजनाओं की सूची, ज़िन्हें वह ज़िले हेतु उपादेय नहीं समझतीं, राज्य सरकार/सम्बंधित विभाग को अनुसंशा भेजकर यह अवगत कराना आवश्यक होगा कि किन परिस्थितियों में उसके मौलिक रूप में परिवर्तन किया गया अथवा उसे जनपद के लिये उपादेय नहीं समझा गया है।

3– योजना की निर्धारित पूर्वताओं में कोई मौलिक परिवर्तन अथवा उलटफेर नियोजन विभाग की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

4– क्षेत्र विशेष में चल रही विकास योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यरत स्टाफ आदि के लिये वचनबद्ध व्यय की व्यवस्था करना आवश्यक है। भले ही उस कार्य के लिये उस योजना विशेष को कार्यान्वित न किये जाने का निर्णय ले लिया जाये।

नये कार्यक्रमों के सम्बंध में निर्देश

किसी नये कार्यक्रम को प्रस्तावित करते समय विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाये। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि के प्रस्तावों में यह देखना होगा कि कहॉ तक और किन सम्भागों में यह वृद्धि सिंचित भूमि पर कृषि के सघनीकरण द्वारा लायी जायेगी एवं किन बारानी क्षेत्रों में सूखी खेती द्वारा उत्पादन वृद्धि प्रारम्भ हो सकेगी। विभिन्न नई योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में निम्न तथ्य प्रस्तुत करने आवश्यक होंगेः–

1–लक्ष्य
2–परिकल्पित क्रियाकलाप
3–वित्तीय भौतिक एवं कार्मिकों के रूप में निवेश
4–वर्षवार भौतिक लक्ष्य
5–निजी तथा संस्थागत संसाधनों की मात्रा ज़िसके उपलब्ध होने की सम्भावना है
6–योजना के सम्पादन की रणनीति
7–दूसरी योजनाओं के साथ उसका सामंजस्य
8–योजना में आवश्यक संशोधन (on the basis of feedback)
9–योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
10–तकनीकी राय एवं अनुमान

नई योजनाओं/स्कीमों की अवस्थित या चल रही योजनाओं से पारस्परिक सम्बंध की बड़ी सावधानीपूर्वक जॉच की जानी चाहिए। योजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी विशेष निर्देशों और विशेष संसाधनों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए।

अध्याय–6: स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब प्लान

नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या को राज्य की कुल जनसंख्या में इनके प्रतिशत अंश के अनुरूप लाभान्वित करने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए योजनावार परिव्यय का निर्धारण किया जाना है। इस प्रकार सेक्टरवार परिव्यय में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व ट्राइबल सब प्लान हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध होने वाले लाभ को देखते हुए इन उपयोजनाओं हेतु परिव्यय पृथक–पृथक इंगित किया जाना है।

मुख्य रूप से ज़िला योजना से वित्त पोषित कार्यक्रमों के परिव्यय विभाज्य श्रेणी में आते हैं, इसलिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान हेतु मात्राकरण किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह कोई बाध्यता नहीं है कि प्रत्येक सेक्टर/कार्यक्रम विशेष में 21 प्रतिशत अथवा 0.2 प्रतिशत मात्राकरण प्रस्तावित किया जाये। यहां यह उल्लेखनीय है कि ज़िला सेक्टर एवं राज्य सेक्टर की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए कुल परिव्यय का अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान हेतु मात्राकरण किया जाना है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान हेतु मात्राकरण के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

1– वर्तमान चालू योजनाओं में यदि किसी योजना से शत प्रतिशत लाभ उक्त वर्ग के लाभार्थियों को मिलता है तो ऐसी योजनाओं को सम्मिलित करते हुए शत प्रतिशत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।

2– अम्बेडकर ग्रामों में अवस्थापना सुविधा हेतु जो धनराशि व्यय की जायेगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान में सम्मिलित मानी जायेगी।

3– अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के विकास हेतु अवस्थापना सम्बंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए व्यय धनराशि को शत प्रतिशत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान में सम्मिलित माना जायेगा।

4– सामान्य योजनायें ज़िसमें अनुसूचित जाति/ जनजाति उत्थान के बारे में विशेष बल या अतिरिक्त प्राविधान नहीं है या सीधे रूप से इन्हें लाभान्वित नहीं करती है तो इन योजनाओं के परिव्यय को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5– किसी अन्य सामान्य योजना में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की 21 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक प्रतिशत में इस वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाता है तो जनसंख्या के प्रतिशत से अतिरिक्त धनराशि को भी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइबल सब प्लान में सम्मिलित माना जायेगा। योजनाओं का अनुमोदन करते समय इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि योजनायें मानक के अंतर्गत आच्छादित होती हैं।

अध्याय–7: समस्यायें एवं सुझाव

इस अध्याय में उन विशिष्ट बिन्दुओं का उल्लेख किया जाये ज़िनका सम्बंध राज्य स्तर से है तथा ज़िनका निस्तारण होना न केवल ज़िले के सर्वांगीण विकास के लिए ही आवश्यक है बल्कि ज़िससे नियोजन प्रणाली का ज़िला स्तर पर सफल कार्यान्वयन हो सके। इस अध्याय में अधिकारों के प्रतिनिधायन, बजट प्रक्रिया के सरलीकरण आदि से सम्बंधित जो बिन्दु हों, उनका उल्लेख किया जाये।

अन्य सामान्य मार्ग निर्देश

1— **वचनबद्ध व्ययः**— परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिये विश्लेषण कर वचनबद्ध व्यय, संचालन व्यय तथा अनुरक्षण/रखरखाव के लिए विकास योजना में परिव्यय प्रस्तावित किया जायेगा।

2— **विकास कार्यों की समीक्षाः**— ज़िला योजना की संरचना करते समय विभिन्न विकास कार्यों की इस दृष्टिकोण से विवेचना की जाये कि अभी तक योजना विशेष में किये गये विनियोग से उसके उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। विवेचना के आधार पर विकास कार्यों के कार्यान्वयन की रणनीति में यथा आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। कतिपय योजनाओं में पिछले कई वर्षों से परिव्यय आवंटित किये जाने के उपरांत भी उनका कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हो सका। ऐसी योजनाओं के लिए परिव्यय रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

3— **अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकताः**— कतिपय विकास कार्यों में पूर्व में पर्याप्त विनियोजन किया जा चुका है। किन्तु ऐसे कार्यों के अधूरे होने के कारण अथवा इन कार्यों से जुड़े हुए अन्य कार्यों के अभाव में या तो लाभ नहीं मिल रहा है अथवा अपेक्षित मात्रा में अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसी पूर्व विनियोज़ित धनराशि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर परिव्यय का प्राविधान किया जाये। इस परिप्रेक्ष्य में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्रगति वाले अपूर्ण कार्यों को पूरा करने तथा उनके लिए समुचित धनराशि किस सीमा तक उपलब्ध करायी गयी है, इसका पूर्ण उल्लेख यथास्थान निर्धारित रूपपत्र में किया जाये।

4— **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए राज्यांश की व्यवस्थाः**— प्रदेश में चलायी जा रही केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में से ज़िला सेक्टर में वर्गीकृत योजनाओं के लिए आवश्यक राज्यांश के समतुल्य परिव्यय का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये। यथेष्ठ प्राविधान न किये जाने पर जहॉ प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता में कमी होगी, वहीं ज़िला योजनाओं में परिवर्तन करना अपरिहार्य हो जाता है। अतः इस विषय में विशेष ध्यान दिया जाये।

5— **दीर्घकालीन कार्यों को चरणबद्ध किया जानाः**— कतिपय बड़ी लागत वाली परियोजनायें विभिन्न चरणों में पूरी की जाती हैं। ऐसी योजनाओं के लिए वर्षवार फॉट तैयार कर परिव्यय प्रस्तावित किया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसी योजनाओं में प्रथम वर्ष लागत का 40 प्रतिशत परिव्यय उपलब्ध हो जाये और योजना अधिकतम 2 वर्षों में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये। ऐसी योजनाओं ज़िसके लिए न तो आगणन तैयार किया गया है और न ही भूमि आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हो पायी हो, के लिए परिव्यय न रखा जाये।

6— **आवश्यक व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जानाः**— अभी तक यह अनुभव रहा है कि प्रायः कतिपय ज़िलों में योजना विशेष के लिए या तो धनराशि प्रस्तावित नहीं की जाती है अथवा आंशिक रूप से प्रस्तावित की जाती है। कतिपय कार्यक्रम तो ऐसे भी होते हैं, ज़िनके लिए आवश्यक वचनबद्ध व्यय को वहन करने के लिए भी योजना में व्यवस्था नहीं की जाती है। इस तरह की विसंगति पर अंकुश रखना अनिवार्य है। अतः विभागीय ज़िलास्तरीय अधिकारियों से उनकी योजनाओं के लिए आवश्यक व्यय की व्यवस्था योजना में कर लिये जाने की पुष्टि अवश्य करा ली जाये, ताकि विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

7— **प्रस्तावित विकास कार्यों का स्थल चयनः—** विकास योजनाओं में प्रस्तावित विकास कार्यों के स्थल चयन आदि के बारे में समय से निर्णय लिये जाने से जहॉ विकास कार्यों के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब से बचा जा सकता है, वहीं ज़िला योजनाओं की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि आवंटित होने वाले परिव्यय के अनुरूप यथासमय धनराशि अवमुक्त हो सके। अतः सभी विकास कार्यक्रमों के सम्बंध में स्थल चयन आगणन आदि के बारे में ज़िला स्तर पर ज़िला योजना के अनुमोदन के साथ ही निर्णय कराया जाना आवश्यक होगा।

8— **निर्माण एजेन्सी का चयनः—** भवनों के निर्माण कार्यों के लिए पहले से ही निर्माण एजेन्सी भी निर्धारित की जाये ताकि सम्बंधित एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्यों को सम्पादित करने की यथासमय व्यवस्था हो सके। निर्माण एजेन्सी का चयन करते समय प्रतिस्पर्द्धा से निर्माण कार्यों में गुणात्मक सुधार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों तथा निर्धारित कार्यदायी संस्थाओं के आधार पर कार्यवाही की जाये।

9— **विभिन्न कार्यक्रमों का विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं से अभिसरणः—** प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ज़िला स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए किस सीमा तक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। सर्वप्रथम उनका आकलन किया जाना आवश्यक है। विकास कार्यों का कार्यान्वयन जन सहयोग के माध्यम से किये जाने पर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त संसाधनों को जुटाया जा सकता है भले ही व श्रम के रूप में क्यों न हो। इस प्रक्रिया से जहॉ विकास कार्यों की ग्राह्यता बढ़ेगी, वहीं जन सामान्य में इनके प्रति अपनेपन का भाव जागृत होगा, जो परिसम्पत्तियों के रखरखाव में सहायक होगा। इस प्रकार जहां भी सम्भव हो, सभी कार्यों हेतु अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाने और कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाये। अतः ज़िन योजनाओं में अभिसरण की सम्भावनायें हैं, उन सभी योजनाओं में अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध धनराशि का विवरण यथास्थान इंगित करते हुए समग्र सूचना ज़िला योजना में समाहित की जाये।

ज़िला स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का आंकलन कर उनका दोहन एवं डवटेलिंग के माध्यम से उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। इस संदर्भ में योजना में यथास्थान स्थानीय स्तर पर किये गये प्रयासों को निरूपित किया जाये। इस सम्बंध में मनरेगा से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा और तदोपरांत उपलब्ध परिव्यय से कार्य कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि किन कार्यों में मनरेगा की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इन कार्यो में विशेष रूप से उद्यानीकरण, सिंचाई कार्य, भूमि विकास, जल संग्रहण एवं जल संचय, पेयजल, वनीकरण, मत्स्य पालन, तालाब विकास आदि प्रमुख हैं।

10— **सृजित परिसम्पत्तियों का हस्तांतरणः—** विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सृज़ित परिसम्पत्तियों का समय से उनके मूल विभाग को हस्तांतरण होना आवश्यक है, ताकि उनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था हो सके। राज्य स्तर पर अनेक ऐसे प्रकरण संज्ञान में आये हैं, जहॉ निर्मित भवन अथवा सृज़ित परिसम्पत्तियॉ कई वर्षों तक हस्तांतरित नहीं की गयी हैं, यह प्रक्रिया उचित नहीं है। अतः विकास योजना

की संरचना के समय इस बिन्दु की विशेष रूप से समीक्षा की जाये और एक निश्चित अवधि में ऐसी सृजित परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाये।

11– **भारत सरकार की सहायता से संचालित कार्यक्रम**–भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय फलैगशिप कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इन कायक्रमों में से कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, ज़िनकी विकास योजनायें ज़िला योजना समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। इन विकास कार्यक्रमों में उपलब्ध होने वाले संसाधन जनपद के लिये अतिरिक्तता के रूप में है और इन संसाधनों से किये जाने वाले कार्यों को संज्ञान में लेते हुए ज़िला योजना के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय से विभिन्न कार्यों को वित्त पोषित किये जाने पर विचार होना चाहिये। भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः

1) Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)
2) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
3) Indira Awaas Yojana (IAY)
4) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme
5) National Rural Health Mission
6) Integrated Child Development Services (ICDS)
7) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)
8) Mid-day-Meal
9) Total Sanitation Compaign (TSC)
10) National Social Assistance Programme
11) Backward Region Grant Funds (BRGF)
12) Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission
13) National Horticulture Mission
14) National Krishi Vikas Yojana
15) National Food Security Mission

12– किसी भी क्षेत्र/निकाय अथवा पंचायत आदि में कराये जाने वाले कार्यों हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकती। अतः विकास योजना को तैयार करते समय इस तरह के कार्यों को चिन्हित कर सम्बंधित योजनाओं का अंग बनाया जायेगा ताकि उन योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था हो सके।

विभागवार सामान्य निर्देश

कृषि विभाग

- आइसोपाम नामक केन्द्र पुरोनिधानित योजना में दलहन एवं तिलहन से सम्बंधित कार्य होता है। अतः आइसोपाम योजना में राज्यांश के रूप में पर्याप्त परिव्यय रखा जाये।

गन्ना विकास

- गन्ना विकास की योजनायें उन्हीं ज़िलों के सीमित क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही हैं, जो गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना मिलों के सुरक्षित क्षेत्र घोषित किये गये हैं।
- कतिपय गन्ना मिलों के लिए घोषित सुरक्षित क्षेत्र एक से अधिक जनपदों में आते हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए उन्हीं जनपदों में प्राविधान किया जायेगा जहां ज़िस जनपद का गन्ना क्षेत्र सुरक्षित किया गया है न कि उस जनपद में ज़िस जनपद में गन्ना मिल स्थापित हैं।
- सड़क निर्माण की योजना में 40 प्रतिशत धनराशि सम्बंधित गन्ना समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। योजना में जनपद विशेष में गन्ना समितियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अंश को आंकलित कर उसी अनुपात में योजना में परिव्यय रखा जायेगा।

पशुपालन

- जनपदों में पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केन्द्रों के अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।
- नये भवनों का निर्माण पशु चिकित्सालय स्वीकृत होने के उपरान्त होता है। इसलिये सर्वप्रथम चिकित्सालयों की स्थापना सुनिश्चित होनी है।

मत्स्य विकास

- मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना प्रदेश के सभी जनपदों में केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाई जा रही है परन्तु 19 जनपदों में इन्क्रीमेन्ट स्टाफ, प्रशिक्षण, तालाब सुधार तथा इनपुट्स पर केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त होती है। शेष जनपदों में प्रशिक्षण, तालाब सुधार तथा इनपुट्स पर अनुदान प्राप्त होता है। अतः विभागीय निर्देशों के आधार पर ही परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।

वन विभाग

- सामाज़िक वानिकी हेतु वनीकरण लगभग तीन वर्षों तक निरन्तरता बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि प्रथम वर्ष में किये गये मिट्टी के कार्य के आलोक में अगले वर्ष आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हो सके। वर्ष प्रति वर्ष योजना के परिव्यय में भारी कमी/ वृद्धि से योजना का अपेक्षित लाभ/कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए परिव्यय की व्यवस्था की जाये, साथ ही वनीकरण के लिए अन्य स्रोतों से अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को संज्ञान में रखते हुए परिव्यय रखा जाये।

ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, इसलिए कार्यक्रम के लिए विभाग द्वारा इंगित राज्यांश के समतुल्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इंगित फांट के अनुसार परिव्यय योजना में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना सभी जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होती है। केवल कुछ धनराशि राज्य के संसाधनों से उपलब्ध होगी, लेकिन उसके लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिये गये फांट के आधार पर परिव्यय की व्यवस्था की जायेगी।
- इन्दिरा आवास योजना में आवासों की लागत के अनुसार धनराशि का आंकलन कर प्राविधान किया जाये।

एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.)

- सुखोन्मुख कार्यक्रम एवं एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है और इन दोनों योजनाओं के स्थान पर एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट योजना प्रारम्भ की गई है। इस प्रकार योजना से आच्छादित परियोजनाओं हेतु आंकलन कर परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।

पंचायती राज विभाग

- पंचायती राज की मुख्य योजना स्वच्छ शौचालयों का निर्माण है। केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के रूप में इस योजना का विस्तार प्रदेश के सभी ज़िलों में है। इस योजना के अंतर्गत लागत के अनुसार परिव्यय की व्यवस्था की जाये।

सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास)

- विकास खण्डों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य अपूर्ण हैं। ऐसे निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने के लिए समुचित धनराशि रखी जाये। इसके लिए निम्न प्रकार प्राथमिकता निर्धारित की गयी है:–
    (1) विकास खण्डों के अनावासीय भवनों का निर्माण ।
    (2) विकास खण्डों में आवासीय भवनों का निर्माण
- ज़िला विकास कार्यालयों के ज़िन भवनों का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है, उन्हीं भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए योजना में धनराशि प्रस्तावित की जायेगी। कोई भी नया ज़िला विकास कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित न किया जाये जब तक कि विभागीय स्पष्ट निर्देश जारी न हों। निर्माण कार्य प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

निजी लघु सिंचाई

- अनुदान मद के अंतर्गत लघु सिंचाई साधनों हेतु निम्न मदों के अंतर्गत सहायता अनुमन्य है ज़िसके अनुसार परिव्यय का आंकलन कर प्रस्ताव किया जाये:–
    (1) गहरे नलकूप
    (2) इनवैल रिंग/वैगनड्रिल, मशीन द्वारा बोरिंग
    (3) ब्लास्ट कूप
    (4) पठारी क्षेत्रों में पम्प सेट/नलकूप
    (5) खारे पानी के कारण असफल नलकूप

- गहरे नलकूप के साथ ही मध्यम नलकूप की योजना कार्यान्वित की जा रही है। सामान्य रूप से 60 मीटर से अधिक गहराई वाले नलकूप गहरे नलकूप, 30 मीटर से 60 मीटर की गहराई वाले नलकूप मध्यम नलकूप तथा 30 मीटर से कम गहराई वाले नलकूप उथले नलकूप (ज़िन्हें निःशुल्क बोरिंग कहा जाता है) तक के रूप में वर्गीकृत है। इस प्रकार वर्गीकरण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर योजना में व्यवस्था की जाये।

सड़क एवं पुल

- ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत 500 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को लिया जा रहा है। इसलिये 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों के कार्य पीएमजीएसवाई में न लिये जाने की स्थिति में ही राज्य के संसाधनों से प्रस्तावित किये जायेंगे।
- लोक निर्माण विभाग, गन्ना विकास विभाग, मण्डी परिषद, सिंचाई विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग इस हेतु नोडल विभाग है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा इन विभागों से समन्वय करते हुए कार्य योजना तैयार की जाये। ग्रामीण सड़कों के सम्बंध में ग्राम्य विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्बंध में समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
- ग्रामीण सड़कों से सम्बंधित सभी चालू अथवा निर्माणाधीन जो अभी तक स्वीकृत हो चुकी हैं, को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता की गणना कर अनिवार्य रूप से परिव्यय रखा जायेगा। योजना में अधूरी सड़कों के लिए परिव्यय न रखे जाने से अपेक्षित धनराशि जनपद को उपलब्ध नहीं हो सकेगी, इसलिए इस सम्बंध में विशेष ध्यान देते हुए परिव्यय की व्यवस्था की जाये।

शिक्षा विभाग

- प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान नामक केन्द्र पुरोनिधानित योजना चलायी जा रही है। इसी योजना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित सभी कार्यों/मदों हेतु परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।
- इसी प्रकार मिड डे मील के लिये भी आवश्यकता का आंकलन कर परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।

खेलकूद

- क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण नामक योजना के अंतर्गत जो कार्य गत वर्षों में प्रारम्भ किये जा चुके हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था कर ली जाये। लगभग सभी जनपदों, मुख्यालय स्तर पर एक–एक स्टेडियम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। इस समय एक जनपद में एक से अधिक स्टेडियम के निर्माण का औचित्य नहीं है। ज़िन जनपदों में स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो चुका है उन्हीं जनपदों में तरणताल व बहुद्देशीय हाल के निर्माण के प्रस्ताव पर

विचार किया जा सकता है, परन्तु इन्हें प्रस्तावित करने से पूर्व उनकी उपादेयता सुनिश्चित कर ली जाये ज़िसमें कोच आदि की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। किसी भी जनपद में एक निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना दूसरा निर्माण कार्य प्रस्तावित न किया जाये।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

- चिकित्सा विभाग/परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय स्तर पर रखे गये लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार योजना में समुचित व्यवस्था की जानी है।
- चिकित्सा विभाग के बहुत से भवन अपूर्ण हैं। अतः ऐसे भवनों के निर्माण पूरा करने के लिए सर्वप्रथम प्राविधान करने के उपरांत नये भवनों, ज़िनका निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, प्रस्तावित किये जायें। उचित होगा कि ऐसे भवनों की सूची और विस्तृत विवरण योजना में उपलब्ध करायी जाये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ज़िन भवनों के निर्माण हेतु भूमि क्रय की जानी है वहां भूमि क्रय हेतु आवश्यक धनराशि का भी प्राविधान उस भवन निर्माण से सम्बंधित योजना में किया जायेगा।
- राष्ट्रीय औसत के अनुसार जनसंख्या के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जाये।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण पूर्ण कराया जाना है, इसलिए जनपद में पहले से स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ज़िनके भवन निर्माण अभी नहीं हुए हैं और वह किराये के भवनों में संचालित हैं, ऐसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अभिज्ञानित एवं सूचीबद्ध कर पूर्ण धनराशि की व्यवस्था की जाये।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने के लिए अवशेष आवश्यकता के अनुरूप धनराशि की व्यवस्था की जाये।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना होने के बाद उनके भवनों का निर्माण होता है जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पहले भवनों का निर्माण होता है तदोपरान्त स्थापना होती है। इस आलोक में जिला स्तर पर स्थापना हेतु परिव्यय रखा जाये।

पेयजल

- पेयजल के उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाय, जहॉ पेयजल की गुणवत्ता, भूगर्भ जल स्तर पर उपलब्ध जल का स्रोत की दूरी के अनुसार समस्या अति गम्भीर है। इस हेतु विकल्प के रूप में पाइप पेयजल परियेाजनाओं पर विचार किया जा सकता है।
- केन्द्र पुरोनिधानित त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। अतः कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का आंकलन करने के बाद ही योजना में परिव्यय की व्यवस्था की जायेगी।
- ग्रामीण पेयजल के लिए ग्राम्य विकास विभाग एवं नगरीय पेयजल के लिए नगर विकास विभाग नोडल विभाग है। पेयजल की व्यवस्था अन्य संस्थाओं यथा मण्डी परिषद, कपाट, यूनीसेफ आदि द्वारा भी की जा रही है, ज़िनके संसाधन अतिरिक्तता के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। अतः सभी संस्थाओं से समन्वय करते हुए, भौतिक एवं

वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाये। अतएव इनके लिए पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की जाये।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा

- पहले से स्थापित आई.टी.आई. में नये ट्रेड एवं आवश्यकतानुसार साज सज्जा उपलब्ध कराकर अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसाय आवश्यकतानुसार खोले जा सकते हैं। परन्तु इसके लिए यह आंकलन अवश्य कर लिया जाय कि किन व्यवसायों में प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता हैं। ज़िन व्यवसायों में प्रशिक्षणोपरांत रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, उनकी सीटों में कमी किया जाना उचित होगा। यह भी प्रयास आवश्यक होगा कि उन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाये ज़िनमें कम धनराशि से कार्य चलाया जा सकता है।
- प्राविधिक शिक्षा के अधीन केवल राजकीय पालिटेक्निक हेतु परिव्यय रखा जाना है और इन संस्थानों में नये ट्रेड एवं आवश्यकतानुसार साज सज्जा उपलब्ध कराकर अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

छात्रवृत्ति/पेन्शन

- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ावर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण एवं सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति से सम्बंधित योजनायें विकास योजना से वित्त पोषित होगी और स्वीकृत छात्रवृत्ति दिया जाना वचनबद्धता की श्रेणी में आता है। अतः इस सम्बंध में पूर्व दशम छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण स्थिति का विश्लेषण कर योजना में प्राविधान किया जाये।
- प्रदेश में राष्ट्रीय सामाज़िक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था/ किसान पेंशन उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना में लाभार्थियों का आंकलन कर पेंशन के लिए प्राविधान किया जाये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 40 वर्ष से 64 वर्ष की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा 18 वर्ष से 64 वर्ष की आयु वाले विकलांगजनों को पेंशन दिये जाने का प्राविधान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना में समाहित किया गया है। इस प्रकार इन वर्गो के लाभार्थियों को इस योजना के अधीन सम्मिलित किया जाये। वर्तमान में रू. 300/– प्रतिमाह की दर से पेंशन अनुमन्य है।
- निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा विकलांगों को पेंशन से सम्बंधित योजनाओं में भी आयोजनागत पक्ष में लाभान्वित किये जा रहे लाभार्थियों हेतु समुचित प्राविधान किया जाये। जो लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से आच्छादित नहीं होते है, केवल उनके लिये महिला कल्याण तथा विकलांग कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत परिव्यय प्रस्तावित किया जाये।
- राज्य द्वारा निर्णय लिया गया है कि पिछड़ी जाति के पूर्व दशम् कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के समान दरों एवं उन्हीं शर्तों पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाये। इस निर्णयानुसार योजना में पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति हेतु पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

- इसी प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ावर्ग के अतिरिक्त अन्य जातियों, ज़िनमें अल्पसंख्यक भी शामिल है, के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों को भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए संचालित पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के समान दरों एवं उन्हीं शर्तों पर छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी। अतः तदनुसार अन्य जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।
- योजना संरचना के समय यह सुनिशिचित किया जायेगा कि सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था प्रथम वरीयता पर की जायेगी।

संलग्नक–3

जिला विकास योजना हेतु वर्गीकृत योजनायें

कोड संख्या	विभाग / योजना
	कृषि विभाग
101240101102010700	आइसोपाम योजना
	उद्यान विभाग
101240105119011000	राज्य औद्यानिक मिशन योजना
101240105119000203	अनुसूचित जाति / जनजाति कृषकों के लिए औद्यानिक विकास
	गन्ना विकास
101240103108000200	उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन / वितरण कार्यक्रम
101240103108000300	बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम
101240103108000400	पैड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम
101240103108000500	अन्तर ग्रामीण सड़कों का निर्माण
	एस.एम.एफ.पी.
101240102115000100	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता
	पशुपालन
101240300101000600	पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं का सुधार एवं विस्तार
101240300102000300	गाय एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना
101240300105000200	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण
101240300107000800	चारा एवं चारागाह विकास की योजना आधारीय / प्रमाणित चारा बीज उत्पादन हेतु प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण
	मत्स्य विकास
101240500190010100	मत्स्य पालक विकास अभिकरण
101240500800010400	मछुवारों के लिए समूह दुर्घटना बीमा
	दुग्ध विकास
101240400191000500	दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों / समितियों को तकनीकी निवेश
101240400191000400	दुग्ध संघों / समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार
101240400800000900	कृषकों को प्रशिक्षण
101240400102001000	आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट
	वन विभाग
101240601010000300	भवन
101240601102000400	शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी
101240601102000300	सामाजिक वानिकी
	स्हकारिता
101242500106000300	निर्बल वर्ग के लोगों अनुसूचित जाति / जनजाति को अंश क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण / अनुदान
	ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम
102250101800010100	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वारोजगार योजना

कोड संख्या	विभाग / योजना
102250101800010200	प्रशासन एवं निदेशन
	भूमि विकास एवं जल संसाधन
102250105101010200	एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम (आई.डबलू.एम.पी.)
	रोजगार कार्यक्रम
102250560800010200	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम
	भूमि सुधार
102250600104010100	सेलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता
	पंचायती राज
102251501004000100	सी.सी. रोड एवं के.सी.ड्रेन का निर्माण
102251501004000200	बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण
	सामुदायिक विकास (ग्राम्य विकास)
102251502102000100	विकास खण्डों / जिला विकास कार्यालय के भवनों का निर्माण / विद्युतीकरण
	निजी लघु सिंचाई
104270202016000300	गहरे नलकूप
104270202016000500	बोरिंग पम्पसेट / नलकूप
104270202800000400	बोरिंग गोदाम
104270202800000600	मध्यम नलकूप
104270202016000800	ग्राउण्डवाटर चार्जिंग / चेकडैम
	राजकीय लघु सिंचाई
104270201103000100	नलकूपों का निर्माण (सामान्य नलकूप कार्यक्रम)
104270201103000200	नलकूपों का आधुनिकीकरण
104270201103000400	डा. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना– नये नलकूपों की स्थापना
	बाढ़ नियंत्रण
104271103800000100	बाढ़ नियंत्रण की छोटी छोटी परियोजनायें
	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
105281002102010500	स्ट्रीट लाइट
105281002102010600	सोलर पम्प पेयजल
	खादी एवं ग्रामोद्योग
106285103105001000	मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना
106285103003000300	कौशल सुधार प्रशिक्षण
	रेशम उद्योग
106285104107002100	एरी रेशम विकास
	सड़क एवं पुल
107305404800000300	ग्रामीण मार्गो का पुनर्निर्माण
107305404800000500	नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण
	पर्यावरण
109343503003000100	पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता प्रशिक्षण एवं प्रसार

कोड संख्या	विभाग / योजना
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
109342501200002000	विज्ञान एवं तकनीकी का प्रोत्साहन एवं प्रसार
	पर्यटन
110345201800002900	स्थानीय पर्यटन विकास
	प्राथमिक शिक्षा
221220201001000200	जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भवनों का निर्माण
221220201800000900	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाने, विद्युतीकरण, चाहरदीवारी व शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान
221220201800011000	मिड डे मील योजना
221220201800010300	सर्व शिक्षा अभियान
	माध्यमिक शिक्षा
221220202053000400	रा.उ.मा. विद्यालयों के भवनों का निर्माण,विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि / भवन क्रय
221220202800002000	राजकीय जिला पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण
221220202800001000	असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर रा.उ.मा. वि. खोलना तथा रा. कन्या जू.हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन
221220202053000500	जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण
221220202800010100	व्यवासायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के विषयों के विशेषज्ञों को मानदेय
221220202800001100	एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्ध खण्डो द्वारा कन्या विद्यालयों हेतु अनुवर्तक अनुदान
221220202800010200	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
	उच्च शिक्षा
221220203103000300	राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण
221220203103000400	राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण
	प्राविधिक शिक्षा
221220300105000600	पालीटेक्निकों का भवन निर्माण
221220300105001900	राजकीय पालीटेक्निक्स में छात्रावासों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार
221220300105000800	उपकरण, साज–सज्जा, नवीन व्यवसाय
	प्रादेशिक विकास दल
221220401103000400	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (विकास खण्ड / जिला स्तर)
221220401103010100	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका)
	खेलकूद
221220402104000500	क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण
	ऐलोपैथी
222221003103000100	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण
222221003103000200	नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना
222221003800000100	वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण,विस्तार तथा बिजली पानी की व्यवस्था
222221003104000100	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

कोड संख्या	विभाग / योजना
222221003104000200	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण
222221001110001500	चीरघर का निर्माण
222221003110000200	अस्पतालों का नवीनीकरण, विस्तार तथा बिजली पानी की व्यवस्था
	अस्पतालों / औषधालयों में विशिष्ट सुविधायें
222221001110001401	प्लास्टिक सर्जरी / बर्न यूनिट
222221001110001404	रेडियोलोजी यूनिट
222221001110001405	इन्टेन्सिव केयर यूनिट
222221001110001000	एलोपैथिक चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थलों का निर्माण
	परिवार कल्याण
222221003101000300	एन.एच.आर.एम. का राज्यांश
	होम्योपैथी
222221002102000900	शहरी क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना
222221004102000600	ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना
222221004102000200	होम्योपैथिक औषधालयों का निर्माण
	आयुर्वेद
222221004800000100	आयुर्वेदिक / यूनानी औषधालयों की स्थापना
222221002800000200	शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक / यूनानी अस्पतालों की स्थापना
222221002800000203	आयुर्वेदिक / यूनानी चिकित्सालयों का भवन निर्माण
	ग्रामीण पेयजल (ग्राम्य विकास)
223221501102010200	ग्रामीण पेयजल
	ग्रामीण स्वच्छता
223221502105010100	स्वच्छ शौचालयों का निर्माण
	पूल्ड आवास
223221601106000100	पूल्ड आवास निर्माण
	ग्रामीण आवास
223221603800010200	इन्दिरा आवास योजना
223221603800010300	लोहिया ग्रामीण आवास योजना
	नगर विकास
223221501101000700	नगरीय पेयजल योजना
	अनुसूचित जाति कल्याण
225222501277000600	पूर्व दशम छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 10)
225222501102000100	बीमार व्यक्तियों को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान
225222502277010200	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यायलयों का निर्माण / स्थापना
225222501800010100	अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
225222501277010300	बुक बैंक की स्थापना (केन्द्र पुरोनिधानित)
	पिछडी जाति कल्याण
225222503277010100	पूर्व दशम छात्रवृत्ति
225222503800000100	पुत्री की शादी एवं गंभीर बीमारियों का इलाज हेतु अनुदान

कोड संख्या	विभाग / योजना
	अल्पसंख्यक कल्याण
225222505277000200	अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति
225222505800001000	पुत्रियों की शादी
	समाज कल्याण–सामान्य जाति
225222580277000100	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति
225222580277000200	दशमोत्त्र छात्रवृत्ति
227222580800000200	पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान
	जनजाति कल्याण
	छात्रवृत्ति
225222502277000300	कक्षा 9–10
225222502277000200	कक्षा 6–8
225222502277000100	कक्षा 1–5
225222502800000900	अनुसूचित जनजाति पुत्री की शादी हेतु अनुदान
225222502800000400	अत्याचार से पीड़ितो को अनुदान
225222502800001000	यूनिफार्म
	सेवायोजन
226223002101000100	सेवायोजन कार्यालयों में व्यवासायिक मार्गदर्शक इकाईयों की स्थापना
	शिल्पकार प्रशिक्षण
226223003800000600	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण
226223003800000700	नये ट्रेड्स का समावेश एवं उच्चीकरण
226223003800000800	आई.टी.आई. का भवन निर्माण
	समाज कल्याण
227223502104010101	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (वृद्धावस्था पेन्शन / किसान पेन्शन)
227223502104010102	राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना
	रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना
	विकलांग कल्याण
227223502101001200	नेत्रहीन,बधिर तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम विकलांगों को रख–रखाव हेतु अनुदान
227223502101001300	विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण / संचालन योजना
	महिला कल्याण
227223502103000300	पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान
	पुष्टाहार
227223602101011100	पुष्टाहार कार्यक्रम
	आंगनवाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

रूपपत्र–1– सेक्टरवार परिव्यय

(लाख रू. में)

कोड संख्या	विभाग / सेक्टर	बारहवीं योजना (2012–17) अनुमोदित परिव्यय	2012–13		2013–14 प्रस्तावित परिव्यय			
			अनुमोदित परिव्यय	अनुमानित व्यय	कुल	कुल परिव्यय में		
						राज्य के संसाधनों से	ज़िला पंचायत के संसाधनों से	नगरीय निकायों के संसाधनों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9

रूपपत्र–2– योजनावार परिव्यय

(लाख रू. में)

कोड संख्या	विभाग / सेक्टर / योजना	बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) अनुमोदित परिव्यय	2012–13		2013–14						
			अनुमोदित परिव्यय	अनुमानित व्यय	राज्य के संसाधनों से प्रस्तावित परिव्यय				ज़िला पंचायत के संसाधनों से प्रस्तावित परिव्यय	नगरीय निकायों के संसाधनों से प्रस्तावित परिव्यय	कुल परिव्यय (स्तम्भ 7+11+12)
					कुल	कुल परिव्यय में					
						पूंजीगत	एस.सी. एस.पी.	टी.एस.पी.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

रूपपत्र–3 – भौतिक लक्ष्य

मद	इकाई	बारहवीं योजना (2012–17) लक्ष्य	2012–13		2013–14		
			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य		
					कुल	कुल में	
						एस.सी.पी.	टी.एस.पी.
1			3	4	8	9	10

रूपपत्र–4– विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित योजनाओं का विवरण

(लाख रू. में)

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल आवश्यकता	2013–14							
			विशिष्ट स्रोत				अन्य स्रोत			
			राज्य के संसाधनों से	केन्द्र द्वारा पुरोनिकधानित योजनाओं के केन्द्रांश	ज़िला पंचायत के संसाधनों से	नगरीय निकायों के संसाधनों से	आर. आई.डी. एफ.	संस्थागत वित्त	एक	दो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

रूपपत्र–5 – ज़िला योजना हेतु आंकलित संसाधन

(लाख रू. में)

		वार्षिक योजना (2013–14)			
क्रम संख्या	मद	राज्य के संसाधन	ज़िला पंचायत के संसाधन	नगरीय निकायों के संसाधन	कुल
1	2				
1	ग्राम पंचायत				
2	क्षेत्र पंचायत				
3	ज़िला पंचायत				
4	नगर निगम				
5	नगर परिषद्				
6	नगर पंचायत				
7	ज़िला योजना हेतु राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधन (ज़िला योजना परिव्यय के रूप में)				
	योगः				
1	सहकारी समितियां				
2	संस्थागत वित्त				
3	लोगों की निजी पूँजी				
4	राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से जनपद को प्राप्त अंश				
5	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्त केन्द्रांश				
6	वाहय सहायतित संस्थाओं से प्राप्त अंश/संसाधन				
7	अन्य				
	योग				
	कुल योग				